न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानसिंह राठौड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 2018/00048
11/2018

वादीगण

1. वालाराम पुत्र राजारामजी जाति घांची निवासी दईपूर तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. राजा पुत्र रावता
2. सतीष पुत्र राजाराम जातियान घांची निवासी दईपूर तहसील रानीवाडा जिला जालोर
3. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
4. उप पंजीयक रानीवाडा
5. हल्का पटवारी पटवार हल्का दईपूर तहसील रानीवाडा जिला जालोर
6. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री आदूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री जबराराम पूरोहित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक – 18.12.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक वाद प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा दईपुर तहसील रानीवाड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजी नवीन खसरा नम्बर 16 रकबा 2.85 हैक्टेयर किस्म जा.प्र. चा.प्र. की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में राजा वल्द रावता कौम घांची सा.देह खातेदार दर्ज हैं। उक्त आराजी प्रतिवादी सख्या 1 राजा वल्द रावता को उत्ताधिकार में प्राप्त हुई है। जो पुर्व में आराजी वादी के दादा रावताजी के नाम दर्ज थी। वादी के पिता के दो उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सतीश हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 2 वादी का भाई है। इस प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को उत्तराधिकारी में प्राप्त पुश्तैनी खातेदारी में वादी का 1/3 नोशनल हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3–1/3 नोशनल हिस्सा बनता है। उक्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा रकबा 0.95 हैक्टेयर नोशनल हिस्सा होने की घोषणा की जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का भी प्रत्येंक का 1/3 हिस्सा रकबा 0.95 हैक्टेयर नोशनल हिस्सा होने की खातेदारी हकों की घोषणा की जावें तथा इसी माफिक राजस्व अमलदरामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी फरमावें।

मौजा दईपुर के मुतदाविया आराजी मे से वादी को उनके नोशनल शेयर की आराजी के शांति पुर्वक उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण तमाम दखलदांजी न तो स्वयं करे तथा ना ही किसी अन्य से करावे ना ही वादी को नोशनल शेयर से बेदखल करावे तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त विवादित आराजी बाबत बैचान दस्तावेज पंजीकृत नहीं करावे तथा नही प्रतिवादी संख्या 3 व 5 उक्त तरह के तथाकथित बैचान/अन्तरण दस्तावेज के आधार पर अजनबी कृेता के नाम नामान्तरण भरावें। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहस वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमावें।

इस पर प्रतिवादी ने अपने जबाब में कहा कि उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी अवश्य है परन्तु सामान्यत पिता की मृत्यु के बाद खातेदारी भुमि का नामान्तरण पुत्रों के नाम होता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी को बैचान नहीं करना चाहते है, प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी को बैचान नही करना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की उक्त आराजी का कब्जा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के पास है। यदि वादी को अपने पिता पर अविश्वास है तो वादी उक्त आराजी में अपने नोशनल शेयर हिस्सा की खातेदारी अपने नाम करवा सकता है। उक्त आराजी के 1/3 हिस्से की खातेदारी वादी व 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 सतीश जो वादी का दुसरा पुत्र है के नाम दर्ज कर दी जावे।

वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी ने बहस में अपने जवाब के कथनों को दोहराया तथा प्रतिवादी ने भी बहस में अपने कथनो को दोहराते हुए कहा कि अगर वादी को अपने पिता पर अविशवास है तो वह नोशनल शेयर के अनुसार अपने हिस्से की आराजी अपने नाम दर्ज करवा सकता है। तहसीलदार रानीवाडा ने कहा कि विविध वारिसानों के मध्य विधिक हिस्सा नोशनल हिस्से अनुसार बनता है। तथा आपत्ति की मुल खातेदार के कितने विधिक वारिसान है यह रिकोर्ड पर नही है। समस्त परिवार का संयोजन नहीं है। अतः खातेदारो के विधिक वारीसान के अनुसार ही नोशनल शेयर के अनुरूप हक दिये जाने बाबत अपना मत किया गया ।

वादी वालाराम व प्रतिवादी राजाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया जिस पर वादी द्वारा अपने वाद के कथनों को लिखा गया तथा प्रतिवादी राजाराम द्वारा भी जवाब के कथनों को लिखा गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस के तथ्यों पर मनन किया। मौजा दईपुर के खसरा नम्बर 16 रकबा 2.85 हैक्टर किस्म जाव प्रथम व चायम प्रथम आई हुई है। जो प्रतिवादी राजा की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें वादी के नोशनल शेयर के अनुसार 1/3 हिस्सा अपने नाम करवाना चाहता है। उक्त आराजी तहसीलदार रानीवाडा से विधिक वारीसान की जांच उपरान्त विधिक वारीसानों के मध्य नोशनल शेयर अनुसार खातेदार धोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा सरहद दईपुर के नवीन खसरा नम्बर 16 रकबा 2.85 हैक्टेयर आराजी स्थित है। उक्त आराजी में तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी में प्रतिवादी राजाराम के विधिक वारीसान की जांच कर जांच उपरान्त जो विधिक वारीसान है। उनको नोशनल अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके

नोशनल शेयर का खातेदार घोषित किये जाते है। वादी के हिस्से की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार से इनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करेगे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद जारी की जाती है।

पक्षकारन अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्त आशय की डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार रानीवाडा को पालना हेतु निर्णय की प्रति मय डिक्री पर्चा भिजवायी जाए।

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानसिंह राठौड आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. वालाराम पुत्र राजारामजी जाति घांची निवासी दईपूर तहसील रानीवाडा जिला जालोर	**बनाम**	1. राजा पुत्र रावता 2. सतीष पुत्र राजाराम जातियान घांची निवासी दईपूर तहसील रानीवाडा जिला जालोर 3. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 4. उप पंजीयक रानीवाडा 5. हल्का पटवारी पटवार हल्का दईपूर तहसील रानीवाडा जिला जालोर 6. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 11/2018

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री आदुराम उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री जबराराम पुरोहित उपस्थित मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपरोक्त पक्षकाराण के इकबालिया जबाव के आधार पर मौजा सरहद दईपुर के नवीन खसरा नम्बर 16 रकबा 2.85 हैक्टेयर आराजी स्थित है। उक्त आराजी में प्रतिवादी राजाराम के विधिक वारीसान की जांच कर जांच उपरान्त जो विधिक वारीसान है। उनको नोशनल अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके नोशनल शेयर का खातेदार घोषित किये जाते है। वादी के हिस्से की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार से इनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करेगे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद जारी की जाती है।

पक्षकारन अपना अपना खर्चा वहन करें। तहसीलदार रानीवाडा को पालना हेतु निर्णय की प्रति मय डिक्री पर्चा भिजवायी जाए।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18.12.2019 को जारी की गई।

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	2	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.23 18:01:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: